राजस्थान बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, चिंतन शिविर देगा नई दिशा : दिलावर

- दिलावर बोले चिंतन शिविर से निकले निष्कर्ष शिक्षा जगत के लिए होंगे महत्वपूर्ण साबित
- शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का समापन

राजसमंद, (निसं)। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्चिंतन शिविर शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। शिविर का समापन शनिवार को हुआ। सभी सत्रों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व्यक्तिशः उपस्थित रहे और प्रत्येक सुझाव को गंभीरता से सुना। शिविर का उद्देश्य शिक्षा में संस्कारों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक सद्भावना और जीवन मूल्यों का समावेश करते हुए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ करना था।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस शिविर को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यहाँ से निकले निष्कर्ष राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिविर में शिक्षा के विभिन्न आयामों पर गहन मंथन हुआ। विशेषज्ञों ने समग्र शिक्षा, मिड-डे मील, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन, भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विचार-विमर्श किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सार्थकता और सामाजिक सद्भावना को बढावा देना भी है। नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों और संस्कारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रतिभागियों का इस चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में यह चिंतन शिविर एक ऐतिहासिक कदम है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और यहाँ से निकले निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा चिंतन शिविर न केवल राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समन्वय का एक अनुपम उदाहरण भी है। यहाँ से निकले विचार और सुझाव शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे। शिविर में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा हर बच्चे में कोई न कोई विशेष काबिलियत होती है। उचित काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों को उनके रुचि के क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किए।शिविर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सचिव अतुल कोठारी, पूर्व कुलपति बीपी शर्मा, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अशोक नागावत, रेजोनेन्स कोटा के निदेशक आरके वर्मा, वित्त विभाग संयुक्त शासन सचिव राजस्व पवन जैमन, संयुक्त शासन सचिव हरीश लड्ढा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक निदेशक दर्शना शर्मा, गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव एनके पटेल, गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव आरआर व्यास तथा सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी श्याम कुमार कपूर ने अपने विचार साझा किए।

प्रशिक्षण सम्पन्न

उदयपुर, (कासं)। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, उदयपुर के अनुसंधान निदेशालय द्वारा फसल विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में उदयपुर, चित्तौडगढ एवं राजसमंद जिलों से लगभग 30 सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को फसल विविधीकरण की आधुनिक तकनीकों, उसकी चुनौतियों और अवसरों, उत्पादन एवं लाभप्रदता बढाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाओं से अवगत कराना था।इस दौरान बदलते जलवायु परिदृश्य में विविधीकृत खेती की आवश्यकता, संसाधनों के संतुलित उपयोग और बाजार की मांग के अनुरूप फसलों के चयन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यह भी बताया गया कि वविधीकृत खेती से न केवल किसान की आय बढती है बल्कि मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव होता है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. धर्मपाल सिंह डूडी के व्याख्यान से हुई।

नए फाउंडेशन के साथ शिव की प्रतिमा गेपसागर झील के मध्य स्थापित

- सभापति और उपसभापति ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए

डूंगरपुर, (निसं)। शहर के हृदय स्थली गेपसागर झील में दो माह पहले रखरखाव के उद्देश्य से हटाई शिव प्रतिमा को श्रावण माह के अंतिम दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुनः स्थापित कर दी गई है।

सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से कुछ साल पहले मूर्ति को स्थापित किया गया था। इस मूर्ति ने नीचे लौहे के चेम्बर लगाए गए थे। जिसमें लगातार पानी में रहने के कारण जंग लग गया था। इससे मूर्ति का फाउंडेशन कमजोर हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए दो माह पहले फाउंडेशन की मरम्मत करते हुए नया बनाया गया है। इसके अलावा मूर्ति में स्थापित फव्वारे भी खराब हो गए थे। उनके वाल्व में कचरा भर गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का संपूर्ण रखरखाव करते हुए उसे बादल महल की तरफ ले गए थे। जहां पर सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद श्रावण माह के अंतिम दिन मूर्ति को पुनः गेपसागर झील में स्थापित कर दिया गया है। इस अवसर पर उपसभापति सुदर्शन जैन, पार्षद जीतेन्द्र भोई ,डायालाल पाटीदार, अशोक चौबीसा, नितिन चौबीसा, भानु सेवक, भरत जोशी, गौरव कंसारा, मोहनलाल यादव, बृजेश सोमपुरा, भूपेश शर्मा सहित पार्षद और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए मूर्ति स्थापित की गई। वही मूर्ति पर बडा पुष्पहार चढाते हुए आशीर्वाद भी लिया।

सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि मूर्ति के नीचे लोहे का फाउंडेशन होने के कारण लगातार जंग खा रहा था। इसको लेकर लगातार रिपेयरिंग कराने की जरुरत थी। रिपेयरिंग के लिए मूर्ति को किनारे लाकर नया फाउंडेशन बनाने की जरुरत थी।

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
आयुष भवन
'बी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
वेबसाइट : www.ayush.gov.in
सत्यमेव जयते
Ministry of Ayush
Government of India

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार न तो किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएंडएच) कम्पनी या उनकी दवा/औषधि को प्रमाणित/अनुमोदित करता है और न ही किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएंडएच) निर्माता/कंपनी को बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस प्रदान करता है। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, किसी एएसयूएंडएच दवा/औषधि की बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा प्रदान किया जाता है।

2. आयुष मंत्रालय एतद्द्वारा जनता को सूचित किया जाता कि-

i. ऐसी एएसयूएंडएच औषधियों का विज्ञापन करना अवैध है जिनमें रोगों के उपचार हेतु चमत्कारी या अलौकिक प्रभावों का दावा किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन असत्यापित या झूठे दावों को बढ़ावा देकर जन-स्वास्थ्य को भ्रमित और खतरे में डाल सकते हैं।

ii. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में कतिपय रोगों और अवस्थाओं के उपचार हेतु दवाओं और चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर कड़ी रोक लगाई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत निर्धारित दंड का प्रावधान है ।

iii. औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ई-1 में उल्लिखित औषधियों युक्त आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं का सेवन संबंधित आयुष चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक की देख रेख और मार्गदर्शन में किया जाना अनिवार्य है। ऐसी दवाओं के कंटेनर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ***"चेतावनी-चिकित्सकीय देख रेख में ली जाए"*** निर्देश लिखा होगा। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे आयुष पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद ही ऐसी औषधियों का उपयोग करें।

iv. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं/औषधियों से स्वयं-निदान करने या स्वयं-दवा लेने से बचना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमेशा पंजीकृत आयुष चिकित्सकों से परामर्श करें ।

3. आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे एएसयूएंडएच दवाओं/औषधियों के संबंध में उपर्युक्त तथ्योंसे अवगत रहें और ऐसी दवाओं/औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों को संरक्षण देने से बचें। जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन, झूठे दावे, नकली दवा आदि की रिपोर्ट औषधि नीति अनुभाग, आयुष मंत्रालय (email : ayush-medicine@gov.in) तथा संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।

आयुष मंत्रालय

J-11019/01/2017-DCC(AYUSH)
cbc17201/11/0003/2526

एक मकान में 700 मतदाताओं के नाम दर्ज होने की शिकायत भ्रामक

उदयपुर,(का.स.)। गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र के बडगांव में मतदाता सूची में एक ही मकान नंबर पर 700 से अधिक बोगस मतदाताओं के नाम दर्ज होने की शिकायत ईआरओ स्तर की जांच में भ्रामक पाई गई। उक्त मतदाता युडीए के अतिक्रमी हैं तथा उनका कोई वैध पता नहीं होने के कारण उन्हें नोशनल नंबर आवंटित कर मतदाता सूची में नाम जोडे गए हैं।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि जनसुनवाई में बडगांव के पंचायत प्रशासक सहित कुछ लोगों ने शिकायत दी थी। इसमें बताया कि बडगांव की मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज हैं। एक ही मकान नंबर पर 700 मतदाताओं के नाम अंकित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोगुन्दा के मतदाता रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को त्वरित जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इनमें से अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कच्चे.पक्के मकान बनाकर रह रहे है।

उदयपुर में राजस्व अदालतों के सरकारी वकीलों की फीस तीन गुना बढ़ी

- 1 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

उदयपुर, (कासं)। प्रदेश सरकार ने राजस्व अदालतों में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप फीस में बडा इजाफा किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और यह बढी हुई फीस 1 सितंबर से लागू होगी। इस फैसले से उदयपुर सहित पूरे संभाग के सरकारी वकीलों को सीधा लाभ मिलेगा।

नए प्रावधानों के अनुसारए रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में सरकार की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को अब हर महीने 11हजार 250 रुपए,एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 1०हजार 200 रुपए और डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9हजार रुपए रिटेनरशिप फीस दी जाएगी। वहीं संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अदालत में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को अब 6हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

जिलों में कलेक्टर और एडीएम की राजस्व अदालतों में पैरवी करने वाले वकीलों की फीस भी बढा दी गई है। उदयपुर,जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौडगढ, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर,नागौर और पाली के लिए यह फीस अब 6हजार रुपए तय की गई है। इसके अलावा बूंदी, झालावाड,टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर, झुंझुनूं, दौसा,बारां और राजसमंद में यह फीस 4हजार 500 रुपए होगी, जबकि बांसवाडा, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ और करौली में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को अब 3 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी और उनके कैंप कोर्ट में पैरवी पर भी 3 हजार रुपए मासिक तय किए गए हैं। उदयपुर के वकीलों का कहना है कि वर्षो से फीस बढाने की मांग की जा रही थी।

बरसेला तालाब छलका

डूंगरपुर, (निसं)। श्रावण मास पूरी तरह रिता बित गया था, और आम जन विशेष कर किसान वर्ग खासा चिंतित था कि पानी नहीं बरसने से इस फसल के साथ साथ सर्दी ऋतु में फसल को किस आधार पर बोया जायेगा।

यही नहीं शहर की पेयजल आपूर्ति को पूरा करने वाले दोनो प्रमुख बांध, डिमिया व एडर्वरसमंद पूरी तरह खाली पडे हुए थे। सोम कमला आम्बा से ही शहर की पेयजल आपूर्ति हो रही थी, तो जिले भर में पानी को लेकर आम जन में खुशी का ज्वार उमड गया और देखते ही देखते न केवल शहर के प्रमुख पेयजल स्त्रोत अपनी भराव क्षमता के निकट आ गये अपितु मारगिया सहित कोई कई बांध छलक उठे। जिसको लेकर आम जन ने उपर वाले का शुक्रिया अदा किया। गैंजी मार्ग पर स्थित बरसेला तालाब आज छलक गया तो देखने लायक नजर क गांव में स्थित गैंजी गांव में तालाब रपट चालू हो गई जिस मौके पर सभी ग्रामीण जन एवं आसपास के क्षेत्रवासी पहुंचकर मोरन नदी माता की पूजा की।

गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध प्रदर्शन किया

बांसवाड़ा, (निसं)। युवा कांग्रेस ने सड़कों की दुर्दशा पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष शाहरुख खान के नेतृत्व में सड़क के गड्ढों में पौधारोपण कर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। सांसद प्रत्याशी रहे अरविंद सीता डामोर ने बताया कि सड़कों की दुर्दशा से बांसवाडा-डुंगरपुर क्षेत्र में आमजन परेशान है एवं गड्ढो के कारण आये दिन हादसे हो रहे है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द नहीं चेता तो आमजन को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।

सेलुलर थेरेपी कैंसर उपचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम

कांफ्रेस को संबोधित करते डा. मनोज महाजन।

उदयपुर, (कासं)। कैंसर के उपचार में दुनियाभर में नवीन आविष्कार हो रहे हैं और डेली प्रेक्टिस में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। नवीन चिकित्सा तकनीकों और पारम्परिक उपचार विकल्पों के सामन्जय को लेकर उदयपुर में कैंसर रोग विशेषज्ञों की अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेस में कई नये और सकारात्मक विचार सामने आ रहे हैं।

पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पारस हेल्थ और कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन ट्रेण्ड्स ऑफ ट्रांसफोर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी का दूसरा दिन ज्ञानवर्धक और नवाचार से परिपूर्ण रहा। सम्मेलन के चौयरमेन डॉ. मनोज महाजन के नेतृत्व में, देश-विदेश के विशेषज्ञों ने कैंसर उपचार में सेलुलर थेरेपी, लिक्विड बायोप्सी और इम्यूनोथेरेपी के नवीनतम आयामों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन चौयरमेन डॉ. मनोज महाजन ने बताया कि दूसरे दिन की प्रमुख गतिविधियों में स्तन कैंसर में सेलुलर थेरेपी पर चर्चा की गयी। यहां ट्रीपल नेगेटिव और एचईआर 2 ब्रेस्ट कैंसर में कार टी और ट्यूमर इनफिलट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स थेरेपी के अनुसंधानात्मक प्रयोगों पर से चर्चा हुई।

विशेषज्ञों ने सरक्लूटिंग ट्यूमर डीएनए की भूमिका को मीनिमल रेजिड्ल डिजिज की निगरानी और उपचार प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण बताया। यहां मेटास्टेटिक स्तन कैंसर पर सीटीडीएन की उपयोगिता पर भी चर्चा हुई। डॉ. आशय कर्पे ने फेफडो के कैंसर के इलाज में नवाचार विषय पर बोलते हुए नॉन स्मॉल सैल लंग कैसर और स्मॉल सैल लंग कैसर में कार टी और टीसीआर थेरेपी के प्रयोगों को प्रस्तुत किया है और कहा कि बढते कैंसर रोगियों और रोग की जटिलता को देखते हुए यह उपयोगी साबित हो सकते हैं। यहां डॉ. कर्पे ने सरक्लूटिंग ट्यूमर सेल्स और सीटीडीएनए के माध्यम से डायग्नोज, एमआरडी ट्रेकिंग और प्रतिरोध की पहचान पर जोर दिया। एनसीसीएन/एएससीओ गाइडलाइन के अनुसार लिक्विड बायोप्सी की तुलना पारंपरिक टिशू बायोप्सी से की गई। डॉ. मनोज महाजन ने कार टी यूनिट की स्थापना पर जोर दिया और काननी आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतें, टीम का सहयोग और सेल प्रोसेसिंग लैब कॉर्डिनेशन जैसे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, उन्होंने अपने व्याख्यान में वित्तीय, काननी और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी गहन चर्चा करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यकत बताया। जापान से आए डॉ. गुयेन दुय सिन्ह, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुम्बई से अनुभव प्राप्त डॉ.विजय पाटिल ने हेड एंड नेक कैंसर में एचपीवी रिलेटेड और नॉन एचपीवी ट्यूर्मस में कार टी, नेचुरल किलर सेल थेरेपी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बीमारी वापस होने के लक्षणों और जाचों पर भी विचार रखे। डॉ.सौरभ शर्मा ने रिनेल सेल कार्सिनोमा को लक्षित करने वाली कार टी, टीसीआर और एनके सेल थेरेपी की समीक्षा की, उन्होंने आरएनए सिग्नेचर, एक्स्ट्रासेल्युलर वेसिकल्स और सीटीडीएन के माध्यम से रोग की निगरानी और प्रतिरोध की पहचान पर विचार प्रस्तुत किये। डॉ. मनोज महाजन ने प्रोस्ट्रेट कैंसर को लक्षित करने वाली कार टी और टीसीआर थैरेपी पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि गांवों में प्रोस्ट्रेट कैंसर के कई मरीज हैं जो समय पर जांच नहीं करवाते हैं और लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं इस कारण समस्याओं का सामना करना पडता है।

कार्यालय नगरपालिका मावली, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : -न.पा.मा./भूमि-तामीर/2025-26 दिनांकः- ....

-::उजदारी सूचना::-

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उपविभाजन/निर्माण स्वीकृति/नामान्तरण हेतु नगर पालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को माफिक नक्शा उपविभाजन, निर्माण स्वीकृति नामान्तरण दिये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो, मय दस्तावेजों प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पड़ौस की स्थिति			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	02/2025-26 (उपविभाजन)	श्री मुकेश कुमार हरिजन पिता श्री केशु लाल निवासी-चमनपुरा मावली त.मावली जिला उदयपुर (राज.) द्वारा योजना भैरव नगर राजस्व ग्राम मावली जिला उदयपुर (राज.) में स्थित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट	अन्य भुमि	आम रास्ता 20 फिट	भुखण्ड संख्या 05	भूखण्ड संख्या 03
2	02/2025-26 (भवन निर्माण स्वीकृति)	श्री मुकेश कुमार हरिजन पिता श्री केशु लाल निवासी-चमनपुरा मावली त.मावली जिला उदयपुर (राज.) द्वारा योजना भैरव नगर राजस्व ग्राम मावली जिला उदयपुर (राज.) में स्थित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट	अन्य भुमि	आम रास्ता 20 फिट	भुखण्ड संख्या 05	भूखण्ड संख्या 03
3	02/2025-26 (नामान्तरण)	श्री मुकेश कुमार हरिजन पिता श्री केशु लाल निवासी-चमनपुरा मावली त.मावली जिला उदयपुर (राज.) द्वारा योजना भैरव नगर राजस्व ग्राम मावली जिला उदयपुर (राज.) में स्थित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट	अन्य भुमि	आम रास्ता 20 फिट	भुखण्ड संख्या 05	भूखण्ड संख्या 03

नोटः-प्रार्थी द्वारा उपविभाजन, निर्माण स्वीकृति,नामान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपविभाजन पश्चात निर्माण स्वीकृती व नामान्तरण की कार्यवाही भी कर दि जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मावली

डूंगरपुर में शिविर संपन्न हुआ

डूंगरपुर। महावीर इंटरनेशनल का प्रतिमाह की भांति इस माह का एक दिवसीय अस्थि एवं जोड प्रत्यारोपण ओपीडी शिवीर आज संस्था के रोग निदान केंद्र पर संपन्न हुआ जिसमें जीबीएच जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल उदयपुर के हड्डी एवं जोड रोग विशेषज्ञ डॉ सौरभ अग्रवाल ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

संस्था अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि आज के शिविर में हड्डी एवं जोड रोग ओपीडी में कुल 18 रोगी लाभान्वित हुए जिनमें से पांच रोगियों की घुटना प्रत्यारोपण के उपरांत फॉलोअप जांच की गई जबकि तीन नए रोगियों की जांच कर उन्हें घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी गई।अन्य रोगियों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है ।

कि प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को महावीर इंटरनेशनल केंद्र पर यह ओपीडी शिविर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष विजय जैन, जोन कोषाध्यक्ष नीरव जैन, सह सचिव अविचल कोटडिया,केसु भाई नागदा आदि उपस्थित रहे ।

सत्यमेव जयते
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
वर्ष 2025 - 26 के लिए
एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत
छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

घटक 1: एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
एससी वर्ग से संबंधित छात्र; माता - पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 7000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

घटक 2: अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत माता - पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं; कोई आय सीमा पात्रता नहीं है	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 8000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

- छात्र के पास वैध **मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।**

- योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

https://socialjustice.gov.in/schemes/23

योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें

cbc38101/11/0012/2526